

साहेबगंज समाहरपालिका  
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज  
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 03 / 17-18 / 492 / भू0अ0, दिनांक- 3.10.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) में सम्पर्क पथ हेतु मौजा-जमनी, थाना-तालझारी, थाना सं0-03, अंचल-तालझारी, जिला-साहेबगंज में कुल-0.32 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.32 एकड़ यानि .....X..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	37 36	रैयती	बाड़ी-2 बाड़ी-2	0.30 0.015	गोपाल सोरेन वल्द सुकदा सोरेन वगैरह	मौजा-हाथीगढ़ नं०-5 का जहारदिवारी	रेलवे लाइन	Plot No- 37p, 38p	Plot No- 33p, 34p & 36p
2	39	33	रैयती	बाड़ी-2	0.005	रामगुलाम दुसाध वल्द सीराम दुसाध				
कुल रकवा-					0.32					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X ....., थाना सं०-..... X ....., अंचल-..... X ....., जिला-.....X.....  
..., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानि .....X..... हे० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-


पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

६०  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

ज्ञापिका ...../भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक .....


प्रतिलिपि :- प्रमुख पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को जंगल कचरा में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के सीधे उपर्युक्त ज्ञापिका का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन डारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।

ज्ञापिका ...../भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, डारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।

  
3/1/12  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।